

I-10517


(37)

C5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

168412



फोटो
 चौ० वीरेंद्र सिंह
 बैनामा सेवक हापुड

विक्रय विलेख प्लेट

क्षेत्र	-	
बैनामा अंकन	-	19,68,436/-
सरकारी कीमत	-	19,68,436/-
स्टाम्प शुल्क	-	1,57,520/-
आ. वि. शुल्क	-	39,380/-
कुल	-	1,97,000/-

[अंकन 80,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 04-08-2006 दस्तावेज नम्बर 6600 एवं शेष अंकन 1,17,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है]


हस्ताक्षर

मिसे






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168415



फोटो प्रमाणित
चौ० वीरेंद्र सिंह
बैनामा दोस्त हापुड

2

हम कि अमानउल्ला खॉ पुत्र श्री असबउल्ला खॉ निवासी मौडल्ला भन्डापट्टी हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गालियाबाद अन्तरणकर्ता (विक्रेता) व

सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि. बी-98 अबुल फजल अपार्टमेंट 22, वसुन्धरा एन्क्लेव, दिल्ली 110096 द्वारा अधिकृत मैनेजर मनोज मणि चतुर्वेदी पुत्र श्री व्.एस. चतुर्वेदी निवासी बी-1/64, कमर्शियल कांप्लेक्स सेक्टर - 50, नोएडा अन्तरिति (क्रेता) ।


होमानुल्ला खॉ

M. M. Uel





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




168414

3


विहित हो कि एक नग प्लॉट जिसका पूर्ण विवरण अगले खण्ड में दिया गया है, जिसका अन्तरणकर्ता बजरिये बैनामा दिनांक 25-06-04 वस्तावेज नम्बर 4158 के द्वारा तन्हा मालिक, स्वामी, काबिल है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि-आदि से पाक साफ है कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति प्लॉट को विक्रय करने में नहीं है अब अन्तरणकर्ता ने अपने निम्न प्लॉट को विक्रय करना तय किया है कि जिसको अन्तरिति अन्तरणकर्ता को उचित बाजार मूल्य देकर खरीद रहे है निम्न प्लॉट का अब सर्व अधिकार व स्वत्व हर प्रकार भूतल बर्तव भूमि करने आबादी बनाने मकान

उत्तर प्रदेश

11/12/06



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



168413

4

आदि रखने निवास आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, पानी, परनाला आदि आदि को स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा में बिना ब्याव बबले अंकन 19,68,436/- रुपये आधे जिसके 9,84,218/- रुपये होते है, हाथ अन्तरिति के हक में पूर्ण प्रकार से विक्रय किया, उक्त कुल मूल्य में से 4,00,000/- रुपये रजिस्ट्री इकरारनामा व रोष 15,68,436/- रुपये बजरिये डाफ्ट नम्बर 796934 सिडिकेट बैंक ईस्ट पटेलनगर नई दिल्ली दिनांक 12-12-2006 के द्वारा प्राप्त करके विक्रीत भूमि पर अन्तरिति महोदय को अपने समान मालिक, स्वामी व काबिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया है, अब अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रय प्लाट में कोई हक व हिस्सा

समय 20/12/06

mmu


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES




सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

502716



5

शेष नहीं बचा है और ना ही उसके मूल्य के सम्बन्ध में साथ अन्तरिति कोई वाद-विवाद किसी प्रकार का शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में माना व सम्भवा जायेगा फिर भी विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद के कारण कुल या लुज भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार एवं कब्जे से निकल जावे या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण अन्तरिति को कुछ और स्पष्टा देना पड़े या विक्रीत भूमि किसी प्रकार के आड बय लोन आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इस विक्रय को करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह प्लॉट का बाजार मूल्य या वह स्पष्टा जो कि उसको और देना पडा हो. मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर कानूनी सहित नियमानुसार

डॉ. राजेश कुमार

मय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




502717

6


अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले. अन्तरणकर्ता को कोई विरोध नहीं होगा. अन्तरिति प्लॉट में अपनी तामीर के द्वार, जंगले, मोरी, नाली, परनाले, भाँप आदि-आदि रास्ते की ओर को रखेगा. अन्य किसी ओर को नहीं रखेगा. अन्तरिति अपनी इच्छानुसार प्लॉट में एक मंजिला व बहुमंजिला निर्माण करावे इसमें अन्तरणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं को लेखपत्र में सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये हैं. कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

अमानुष

Moqueel



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



502718

?

विवरण भूमि विक्रीत 1- स्थित मौडल्ला मोती कालौनी डाण्ड परगना तहसील डाण्ड जिला गाजियाबाद में खता संख्या 1989 खसरा संख्या 1487 रकबा 0.405 हेक्टेयर जिस पर लगान 20.00 रुपये सालाना निर्धारित है में विक्रेता 1/2 भाग रकबा 0.2025 हेक्टेयर भूमि का मालिक स्वामी काबिज है विक्रेता ने अपने भाग में से रकबा 0.0672 हेक्टेयर यानि 003.44 वर्गज जिसके पूरब में शेष भूमि खसरा संख्या 1487 पश्चिम में खसरा संख्या 1485 उत्तर में खसरा संख्या 1486 व दक्षिण में रास्ता चकरोड है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है, स्टाम्प

डामाडौला

Harish


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये


रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



A 805578

8

शुल्क रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या 8 पर क्रमांक 10 के अनुसार 1,000/- रुपये प्रतिवर्गमीटर से अधिक पर अदा किया गया है, कच्चा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है। प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त प्लॉट आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है, प्लॉट मुख्य सड़क से 100 मीटर से अधिक दूर है।

अतः यह लेख विक्रय-पत्र अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सद्बुद्धि व चेतन्य मन की अवस्था में बिला बख़ाब लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

अभिषेक कुमार

अभिषेक

